

मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम मुख्यालय के सभागार में दिनांक 09/08/2012 को सदन की स्थगित बैठक, जो दिनांक 25/08/2012 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रारम्भ हुई, का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	महापौर/अध्यक्ष	श्रीमती गीता देवी	पार्षद/सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य	श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना	पार्षद/सदस्य	श्री हरिशचन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल	पार्षद/सदस्य	श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू"	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्रीमती जोहरा खातून	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद/सदस्य
श्री गौरव जैन	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता	पार्षद/सदस्य
सुश्री लक्ष्मी कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य	श्रीमती राम जानकी यादव	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री शाइमा	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य

श्रीमती उत्तम	पार्षद / सदस्य	श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य
श्री राजकुमार पाल	पार्षद / सदस्य	श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद / सदस्य	श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती मीनू गुप्ता	पार्षद / सदस्य	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद / सदस्य	श्रीमती मधु	पार्षद / सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद / सदस्य	श्री गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य	डॉ० आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री सलीम बेग	पार्षद / सदस्य	श्री राम औतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य	श्रीमती सन्नो कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य	डॉ० नीना अवस्थी	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद / सदस्य	श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद / सदस्य	श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद / सदस्य	श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद / सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद / सदस्य	श्री विनय अग्रवाल	पार्षद / सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद / सदस्य	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री कमल शुक्ल "बेबी"	पार्षद / सदस्य	श्री मो० शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य

श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य	श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य	श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री आदर्श	पार्षद / सदस्य	श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य	श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य	श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य	श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य	श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद / सदस्य	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य	श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य	श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य	श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य	श्री मो० आरिफ	पार्षद / सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य	श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य	श्री सातिका "सिब्बू"	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य	श्री आमोद	पार्षद / सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद / सदस्य	श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य

श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य	श्री डी० के० गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य	डॉ० एल०के०तिवारी	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य	डॉ० यू० पी० अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी चि०
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोन्'	पार्षद / सदस्य	श्री जे० एन० श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता
श्री जावेद अख्तर "गुड्डू"	पार्षद / सदस्य	श्री आर०एम०अस्थाना	मुख्य अभियंता वि० / यॉ०
श्री मो० इरफान खान	पार्षद / सदस्य	श्री जवाहर राम	महाप्रबंधक, जलकल विभाग
श्री रमापति झुनझुनवाला	पार्षद / सदस्य	श्री पंकज भूषण	पर्यावरण अभियंता
श्री मो० वसी	पार्षद / सदस्य	श्री अम्बरीश यादव	सहायक निदेशक सी०सी०
<u>पदेन सदस्य</u>		श्री के० एस० अवस्थी	उप नगर आयुक्त
श्री राजाराम पाल	सांसद	श्री बी० के० द्विवेदी	उप नगर आयुक्त
श्री सत्यदेव पचौरी	विधायक	श्री मनोज श्रीवास्तव	उप नगर आयुक्त
श्री सतीश निगम	विधायक		
श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	विधायक		
<u>अधिकारी गण</u>			
श्री एन० के० सिंह चौहान	नगर आयुक्त		
श्री उमाकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त		
श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त		

राष्ट्रगीत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई ।

अध्यक्ष ने निर्धारित कार्यसूची के अनुसार कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देश प्रदान किये। तदनुसार नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को कार्यकारिणी समिति के चुनाव के विषय में सदस्यों को विस्तृत विवरण के साथ अवगत कराने के निर्देश दिये।

सर्वप्रथम श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सदन में सी0सी0 कैमरे लगाया जाना स्वागत योग्य है परन्तु पार्षद कक्ष में लगे सी0सी0 कैमरे नहीं लगाने चाहिये। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की। नगर आयुक्त ने पार्षद कक्ष में मात्र टेस्टिंग हेतु कैमरे लगाने की बात कही और स्पष्ट किया कि पार्षद कक्ष में कैमरे लगाये नहीं जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कटियार ने अध्यक्ष से कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु जनता सर्वप्रथम क्षेत्रीय सभासद को घेरती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन से पूर्व कानपुर नगर की समस्याओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर लिया जाये। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुये चर्चा कराने पर जोर दिया जाने लगा ।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक- 09.08.2012 की आहूत सदन की बैठक चूँकि स्थगित हो गई थी और उसी कार्यसूची के निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार बैठक सम्पन्न होनी है। अतः सर्वप्रथम कार्यसूची में उल्लिखित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त कानपुर नगर के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा कराई जायेगी। मैं भी सहमत हूँ कि क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिये पार्षद को निर्वाचित कर उससे अपेक्षाये रखती है परन्तु जिस तरह आप सभी द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई, खेदजनक है। इससे सदन की गरिमा व प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। सदन की गरिमा आचरण एवं व्यवहार से बनती है अतः आपसे अनुरोध है कि शान्ति एवं सहमति से निर्वाचन सम्पन्न होने दिया जाये क्योंकि कल समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी के छायाचित्र एवं प्रदर्शन से शहर की जनता अवगत होगी तब क्या स्थिति बनेगी इस पर विचार करें ।

इसके उपरान्त अपर नगर आयुक्त द्वारा कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

कानपुर नगर निगम के निर्वाचित सदन 2012-13 की प्रथम कार्यकारिणी समिति के 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

क्र०	विवरण	समय
1	नाम निर्देशन प्रपत्रों का वितरण	11:35 बजे से 12:35 बजे तक
2	नाम निर्देशन प्रपत्रों को भरकर निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त कराने एवं वापसी की समयावधि	12:35 बजे से 13:25 बजे तक
3	नाम निर्देशन प्रपत्रों की जाँच एवं वैध तथा अवैध पाये गये नाम निर्देशन	13:25 बजे से 13:50 बजे तक

	प्रपत्रों एवं प्रत्याशियों की घोषणा	
4	नाम वापसी की समयावधि निर्धारण एवं वापसी के उपरान्त अन्तिम रूप से निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की संख्या की घोषणा	13:50 बजे से 14:20 बजे तक
5	निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की घोषणा (निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	14:20 बजे से
6	मतपत्रों का मुद्रण	14:20 बजे से 15:20 बजे तक
7	मतदान की अवधि	15:20 बजे से 17:20 बजे तक
8	मतपत्रों की गणना	17:20 बजे से समाप्ति तक तत्पश्चात् निर्वाचित सदस्यों के नाम की घोषणा

नगर आयुक्त ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-12 के अन्तर्गत कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है। प्रत्येक सदस्य समिति के निर्वाचन हेतु प्राथमिकता के आधार पर मत प्रपत्र में उल्लिखित सदस्यों के नाम के आगे अधिमान अंक उल्लिखित कर 12 मत दे सकते हैं। मतपत्र गोपनीय होता है अतः इसके अतिरिक्त अगर कोई टिप्पणी या निशान मतपत्र पर अंकित किया जायेगा तो मतपत्र अवैध हो जायेगा। मतदान के पश्चात् मतपत्रों की गणना एवं चुनाव परिणाम कम्प्यूटर द्वारा समिति कक्ष में सम्पन्न होगा, जिसमें सभी प्रत्याशी स्वयं अथवा उनका एक प्रतिनिधि (दोनों में से कोई एक) मतगणना के समय समिति कक्ष में उपस्थित रह सकते हैं।

तदानुक्रम में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

..... 13:25 बजे अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 25 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त किये गये तथा निर्धारित समयावधि पश्चात् 21 नाम निर्देशन प्रपत्र भर कर प्रस्तुत किये गये हैं, जो सभी वैध हैं। इन नाम निर्देशन प्रपत्रों की जाँच की जायेगी।

..... 13:50 बजे अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि 07 सदस्यों द्वारा नाम वापस लिये जाने के उपरान्त शेष 14 प्रत्याशी निम्नवत् हैं :-

1- श्री अभिषेक गुप्ता वार्ड-106, **2-** श्रीमती उत्तम दुबे वार्ड-33, **3-** श्रीमती गीता देवी वार्ड-17, **4-** श्री जितेन्द्र कुमार सचान वार्ड-80, **5-** श्री धर्मनाथ मिश्रा वार्ड-75, **6-** मो0 वसी वार्ड-110, **7-** श्री इरफान खॉन वार्ड-108, **8-** श्री महेन्द्र पाण्डेय वार्ड-09, **9-** श्री राकेश साहू वार्ड-72, **10-** श्रीमती विजय लक्ष्मी वार्ड-16, **11-** श्री संदीप जायसवाल वार्ड-79, **12-** मो0 सलीम बेग वार्ड-40, **13-** श्रीमती रानू बाजपेई वार्ड-88, **14-** श्री महेन्द्र प्रताप सिंह वार्ड-78

उपरोक्तानुसार कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का मुद्रण किया जाना है तत्पश्चात् निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि पार्षदगण, छायाकारों एवं पत्रकार बन्धुओं तथा अधिकारियों के अतिरिक्त यदि सभागार में कोई बाहरी व्यक्ति उपस्थित हो तो कृपया बाहर जाने का कष्ट करें।

..... 17:20 बजे अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 111 सदस्यों (04 पदेन सदस्य एवं 107 पार्षद) ने मतदान किया है मतगणना समिति कक्ष में प्रारम्भ होने जा रही है। मतगणना पश्चात् परिणाम घोषित किये जायेंगे। परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व सभी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में मेरे द्वारा नाम पुकारे जाने पर क्रमशः अवगत करायेंगे।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि जोनल कार्यालय में मेरे ही वार्ड की लगभग 1217 गृहकर के सम्बन्ध में आपत्तियों 03 माह से लम्बित है, जो 15.05.2012 से 25.05.2012 के मध्य दर्ज कराई गई थी परन्तु उनका निस्तारण आज तक नहीं कराया गया है। भवन स्वामियों की आपत्तियों का 03 माह के अन्दर निस्तारण नहीं किया गया जिससे कानपुर नगर निगम द्वारा दी गई 10 प्रतिशत छूट के लाभ से भवन स्वामी वंचित हुये है। इसका कारण जोनल अधिकारियों को आपत्तियों के निस्तारण हेतु अधिकृत न किया जाना है। इसके पूर्व की तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा आपत्तियों के निस्तारण कराया गया है परन्तु आप द्वारा केवल निरीक्षण किया जा रहा है और नित नये आदेश निर्गत किये जा रहे है परन्तु भवन स्वामियों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु जोनल अधिकारियों को अधिकार नहीं दिये जा रहे है। क्षेत्रीय जनता लगातार जोनल कार्यालय आकर भटक रही है, जनता का भी समय अमूल्य है अतः इस पर त्वरित निर्णय लिया जाये।

श्री रमापति झुनझुनवाला ने कहा कि कानपुर महानगर के गृह स्वामियों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जनता का जोनल अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, कि निस्तारण होगा। शहर की जनता गृहकर देना चाहती है परन्तु आपत्तियों का निस्तारण होने के पश्चात। अतः बड़े हुये गृहकर के संशोधन हेतु समय निर्धारित किया जाये।

श्री धीरू त्रिपाठी ने कहा कि कर निर्धारण की आपत्तियों के निस्तारण को समय सीमा में न बांधा जाये। बरसात के मौसम के बाद भी जल निकासी पर ध्यान दिया जाये। मेरे वार्ड के कुछ हिस्सों में जलभराव होता है अतः अनुरोध है कि ऐसे जलभराव वाले स्थलों की जल निकासी हेतु अवस्थापना निधि की 25 प्रतिशत धनराशि ड्रेनेज के लिये आरक्षित की जाये। अवस्थापना एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष पुनः मा0 महापौर होंगे। अतः अनुरोध है कि इन कार्यों में पार्षद की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाये। इस निधि से सम्बन्धित प्रस्ताव क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से ही प्रेषित किये जाये तथा लोकार्पण के पत्थर में मा0 महापौर, नगर आयुक्त एवं पार्षद का नाम होना सुनिश्चित किया जाये। कार्य की गुणवत्ता एवं मानक के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य के बिल का अन्तिम भुगतान किया जाये।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि (GIS) के आधार पर जो सर्वे कराया गया है, वह सर्वथा गलत है। किसी भवन में यदि 10 दुकानें हैं तो उन्हें 10 नं० देकर 10 भवन संख्या में विभक्त कर दिया गया है, इसकी जाँच विजिलेन्स से कराई जाये। उदाहरण देते हुये कहा कि मेरे क्षेत्र के भवन संख्या— 111/ए-1 में किराये दारों को भवनस्वामी बना दिया गया है। मा० उच्च न्यायालय ने (GIS) के सर्वे को सही ठहराया है लेकिन कर निर्धारण पद्धति को गलत बताया है। जी०आई०एस० सर्वे को पूर्व निर्वाचित सदन वर्ष 2000-2005 ने खारिज कर दिया था। अतः आपत्तियों के निस्तारण को समय सीमा में न बांधते हुये न्यायोचित प्रक्रिया अपनाई जाये। तत्समय कर निर्धारण समिति का अध्यक्ष नामित हुआ था। वर्तमान में अवगत कराना चाहता हूँ कि जी०आई०एस० सर्वे के आधार पर कर निर्धारण जो पूर्णतः गलत है उसे भी पिछले वर्षों से लागू किया जा रहा है। अतः इस पर निर्णय किया जाये।

श्री कमल शुक्ल “बेबी” ने यथोचित सम्बोधन के साथ सदस्यों को अवगत कराया कि वर्ष 1989 से सदन का सदस्य होता आया हूँ। वर्ष 2005 में कर निर्धारण हेतु सरल कर की प्रक्रिया अपनाई गई, जो तत्कालीन मा० महापौर श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा लाई गई थी। इस प्रक्रिया के तहत यह तय हुआ था कि कानपुर महानगर में जो भवन कर की परिधि में नहीं है उन्हें सर्वप्रथम कर की परिधि में लाया जाये। इस प्रक्रिया के तहत कर से छूटे 05 लाख भवनों में से मात्र 2.50 लाख भवनों को कराच्छादित किया जा सका है। अतः सर्वप्रथम अवशेष भवनों को कर की परिधि में लाने का प्रयास किया जाये साथ ही कर निर्धारण में जो विसंगतियाँ हैं उनको ठीक किया जाये। आज स्थिति यह है कि शहर के नागरिक बढ़े हुये गृहकर से परेशान होकर गांव की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। जी०आई०एस० सर्वे से सामान्य कर 20 गुना बढ़ गया है और उसे पुनः 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि इस पर निर्णय कराया जाये साथ ही अधिकारियों को नगर निगम मुख्यालय में बैठना सुनिश्चित किया जाये क्योंकि जनता आकर दरदर भटक रही है। जनता ने अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु ही हम सभी पार्षदों को निर्वाचित कर नगर निगम भेजा है।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि जी०आई०एस० सर्वे के विषय में हमारे भाईयों ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं मैं उनसे सहमत हूँ तथापि अब कानपुर महानगर के विकास पर चर्चा होनी चाहिये। इसी परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि जल निगम द्वारा की जा रही खुदाई से गलियों के साथ-साथ नलियाँ एवं सीवर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सीवरों के गन्दे पानी के भराव में सुअर लोट रहे हैं जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ के जोनल डम्पों में सफाई के उपकरण उपलब्ध हों, कही हाथ ठिलिया नहीं है, तो कहीं झाड़ू। यही स्थिति जलकल विभाग की भी है। इतना ही नहीं उपकरण के अतिरिक्त पर्याप्त सफाई कर्मी या मानव बल भी नहीं है, जिससे क्षेत्रों में सफाई के साथ-साथ पैच मरम्मत के कार्य भी प्रभावित हैं। अतः इस पर विचार करते हुये कार्यवाही कराई जाये।

श्री राजेन्द्र कटियार ने कहा कि जल निगम, जलकल तथा नगर निगम का आपस में सामंजस्य नहीं है, जिससे सड़क बनते ही खुदाई कर दी जाती है परिणामस्वरूप शहर की जनता परेशान होती है। जब शिकायत की जाती है तो एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर जिम्मेदारी डालता है। जे०एन०एन०यू०आर०एम० के कार्यों में रातोंरात सीवर/पानी की लाइन डाल दी जाती है। इन डाली गई सीवर लाइनों में मिट्टी भर जाने से चारों तरफ सीवर

का भराव हो रहा है। शास्त्री नगर स्थित मलिन बस्ती में भी सीवर लाइन चोक है, इसकी सुनवाई के लिये न तो जल निगम तैयार है और नही जलकल विभाग। ए-टू-जेड संस्था द्वारा पूर्व में दिन में दो बार कूड़ा उठाया जाता था और वर्तमान में कूड़ा उठान स्वास्थ्य विभाग से सफाई के लिये कहने पर कहा जाता है कि सामान उपलब्ध नहीं है। मार्गप्रकाश के बिन्दु बन्द है उन्हें शीघ्र चालू कराया जाये। सुअर पूर्व की भौति अभियान चलाकर हटाये जाये। श्रमिक बस्तियों की सर्विस लेनों की सफाई कराई जाये। प्रत्येक वार्ड में 10-10 हैण्डपम्प लगवाये जाये।

श्री नवीन पण्डित ने बताया कि पेयजल की समस्या समाधान हेतु दक्षिण क्षेत्र में जल निगम द्वारा पानी की लाइनें डाल दी गई है परन्तु जल संयोजन न दिये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जलकल विभाग भी न तो हैण्डपम्प लगवा रहा है और न ही खराब हैण्डपम्पों को ठीक करा रहा है। अतः माँग करता हूँ कि खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराया जाये और 05-05 नये हैण्डपम्प लगवाये जाये।

श्री गौरव जैन ने कहा कि मेरे वार्ड की सीवर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अभी ईद के समय मुस्लिम भाईयों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, यदि विश्वास न हो तो स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाये। जलकल विभाग में सामान न होने के कारण क्षेत्र के हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, पानी लेने के लिये लोग सबमर्सिबल पम्प से 100-100 रु0 देकर पानी ले रहे हैं।

श्री कैलाश नाथ पाण्डेय ने बताया कि संजय नगर वार्ड-70 में डायरिया फैल चुका है जिसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। जलकल के अवर अभियंता से शिकायत करने पर कहा जा रहा है कि उक्त क्षेत्र अभी जलकल विभाग को हैण्ड ओवर नहीं है। शमशान घाट में पंजा अनावश्यक जनता को परेशान करते हुये धन उगाही कर रहे हैं। अतः शवों की अंतेष्टी के लिये उचित प्रबन्ध कराया जाये।

श्री अब्दुल कलाम ने कहा कि गंगा की सफाई हेतु जल निगम द्वारा गहरी सीवर लाइन डाली जा रही है उसे शीघ्र पूरा कराया जाये क्योंकि मेरे क्षेत्र में जगह-जगह खुदी सड़कें पड़ी हुई हैं और सीवर का भराव भी है। मेरा सुझाव है कि पूरे शहर में डाट लाइन को सीवर लाइन से मिला कर सीवर समस्या का समाधान कराया जाये।

श्री मनीष शर्मा ने धन्यवाद देते हुये कहा कि रविदासपुरम् योजना की समस्या के निदान हेतु जो मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रयास किया गया है वह सराहनीय है। यह ज्ञात हो सका है कि क्षेत्र की समस्याओं के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है। के0डी0ए0 द्वारा एक नलकूप लगवाया गया है जिसे मात्र रोड कटिंग करके जलकल विभाग द्वारा कनेक्शन कराये जाये जिससे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सके। 74वें संविधान संशोधन को लागू करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाये, वैसे पूर्व महापौर श्री रवीन्द्र पाटनी द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है परन्तु पुनः भिजवाया जाये। पानी के बिल जलकल विभाग द्वारा गलत भेजे जा रहे हैं, उनके संशोधन का अधिकार जोनल अधिकारी को दिया जाये। समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि आवारा जानवर रात्रि में पकड़े जायेंगे जबकि रात्रि में अधिकतर जानवर मालिकों द्वारा बांध लिये जाते हैं। अतः सुझाव है कि आवारा जानवरों को दिन में ही पकड़ने की व्यवस्था की जाये। नगर आयुक्त महोदय द्वारा मार्गप्रकाश की दिन में बत्तियाँ जलती पाये जाने पर सम्बन्धित अवर अभियंता का वेतन काटने का

जो आदेश निर्गत किया गया है, उसे वापस लिया जाये क्योंकि अवर अभियंता के बजाय बत्तियों न बुझाने के लिये स्विचमैन दोषी है। चूँकि लाइनमैन/स्विचमैन की कमी है अतः उनकी व्यवस्था करते हुये संसाधन बढ़ाये जाये।

श्री आदर्श ने कहा कि वार्ड सं० 69, 74, 56 में मुख्य समस्या सीवर की तथा सफाई की है। अतः संविदा 10 अतिरिक्त कर्मचारी लगा कर सफाई कराई जाये।

श्रीमती रानू बाजपेई ने सड़क, प्रकाश बिन्दु एवं पानी की समस्या के समाधान की बात कही।

श्री कौशल कुमार मिश्र ने कहा कि मेरा क्षेत्र आंशिक रूप से नगर निगम को हैण्डओवर है और सामान्य कर भी भवन स्वामियों से लिया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि नागरिकों को मूलभूत समस्याएँ भी उपलब्ध कराई जाये। गलत ढंग से किये गये कर निर्धारण एवं गलत ढंग से दर्ज किये गये नामांकन पर कार्यवाही कराई जाये।

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि प्रत्येक पार्षद के लिये ₹० 25 लाख की पार्षद निधि दी जाये, 05 हैण्डपम्प रिबोर कराने तथा 05 हैण्डपम्प नये लगवाने के साथ ही 10 सी०एफ०एल० प्रत्येक वार्ड में देने के आदेश निर्गत किये जाये। नगर आयुक्त द्वारा हैलट में पुराने अतिक्रमण को हटाकर जो ऐतिहासिक कार्य किया गया है उसके लिये सदन उनकी प्रसन्सा करता है। एन०जी०ओ० के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती कर आवारा जानवर पकड़े जाये।

श्री अतुल त्रिपाठी ने मा० महापौर, नगर आयुक्त एवं मीडिया से पधारे छायाकार एवं पत्रकार बन्धुओं को यथाचित सम्बोधन करते हुये कहा कि हम सभी निर्वाचित पार्षदगणों के सर पर कौंटों का ताज रख दिया गया है। क्षेत्र की जानता की अपेक्षाएँ हम सभी से जुड़ी हैं। अतः सुझाव है कि अध्यक्ष महोदय शहर के समुचित विकास के लिये वार्ड समिति का गठन किया जाये क्योंकि नगर निगम में चारो तरफ अनियमितता व्याप्त है। सभी निर्वाचित पार्षदों के साथ नगर आयुक्त की आहूत चाय पार्टी में नगर आयुक्त द्वारा कहा गया था कि नगर निगम के सीमित संसाधन है उसी के सापेक्ष कार्य कराये जायेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि हाथ ठिलियों जो छोटे मोटे कार्य से वार्डों में खड़ी हैं यदि मरम्मत करा दी जाये तो कूड़ा का समुचित उठान सुनिश्चित हो जायेगा। गलीपिट व नाली की सफाई प्राथमिकता पर कराई जाये क्योंकि इनकी सफाई न होने से ही जगह-जगह जल भराव की स्थिति बनती है। जल संस्थान और जल निगम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। खराब हैण्डपम्प जो मात्र 05-10 फिट पाइप लगाकर ठीक किये जा सकते हैं वह जगह-जगह बन्द पड़े हैं। सफाई कर्मियों की जो कमी है उसें संविदा या एन०जी०ओ० के माध्यम से रख कर पूरा किया जाये। सदन की तरफ से प्रस्ताव मा० सांसद को हैण्डपम्प व सबमर्सिबल पम्प लगवाये जाने हेतु प्रेषित किया जाये।

श्री राजेश कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र की खुदाई से परेशान नागरिकों के लिये जल निगम पूर्णतः दोषी है । अतः शीघ्र सीवर/पानी की लाइन डालने एवं सड़क चलने लायक बनाने हेतु निर्देशित किया जाये। सफाई कर्मी एवं संसाधनों की कमी होने के कारण सफाई हेतु ए-टू-जेड से सामंजस्य स्थापित किया जाये।

श्रीमती नीलम चौरसिया ने कहा कि वार्ड की समस्याओं को जलकल, जल निगम तथा नगर निगम जानमानस से जोड़ कर देखे तो उचित होगा। जी0आई0एस0 सर्वे द्वारा निर्धारित सामान्य कर की आपत्तियों को निस्तारित करते हुये ओ0टी0एस0 लागू किया जाये इससे जनता को सुविधा के साथ-साथ नगर निगम को राजस्व भी प्राप्त होगा। संज्ञान में आया है कि 24 अंशकालिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति जो पूर्व में नगर निगम द्वारा की गई थी, उनमें 09 को छोड़ कर 15 को निकाला जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सभी शिक्षिकाओं को यथावत् रखा जाये, जिससे केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये सर्वशिक्षा अभियान को सफलता मिलेगी।

श्री महेन्द्र पाण्डेय “पप्पू” ने सदस्यों को अवगत कराया कि मैं तीसरी बार निर्वाचित होकर आया हूँ और कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन में भी जो शहर के विकास पर मा0 महापौर ने चर्चा कराई है इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है। मेरे वार्ड में स्थित आजाद पार्क में शहीद चन्द्रशेखर आजाद की खण्डित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगवाई जाये । प्रतिमा चाहे नगर निगम या शासन द्वारा लगाई जाये। एन0जी0ओ0 के माध्यम से सफाई कर्मियों की भर्ती की जाये ताकि मेरे वार्ड में गंगा के निचले तट पर बसे क्षेत्रों की सफाई कराई जा सकें।

श्री जावेद अख्तर “गुड्डू” ने जी0आई0एस0 सर्वे द्वारा गलत कर निर्धारण को सही कराने एवं वार्ड स्तर पर समस्याओं का निस्तारण कराने का अनुरोध किया। मेरे वार्ड स्थित नगर निगम बालिका विद्यालय में न ही विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की । अतः व्यवस्था कराई जाये। जल निगम द्वारा डाले जा रहे टूटे पाइपों की जाँच कराई जाये।

श्री आलोक शुक्ला ने कहा कि नाली सफाई, सीवर सफाई, गलीपिट की सफाई में समानजस्य बनाया जाये तथा शिकायतों की सुनवाई हेतु सेन्द्रलाइन कम्प्लेन आफिस बनाया जाये ताकि सामुहिक निस्तारण हो सके। ए-टू-जेड के कर्मियों द्वारा पार्क के अन्दर का कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है अतः कूड़ा उठाने के लिये निर्देशित किया जाये। हैण्डपम्प जो बन्द है उन्हें रिबोर कर चालू कराया जाये साथ ही जलसंस्थान द्वारा जगह-जगह पानी के प्वाइंट बनाकर जनता को पानी उपलब्ध कराया जाये। वार्ड की सभी बीटो के अन्तिम छोर तक सफाई सुनिश्चित की जाये। मूर्तियों या धार्मिक सामग्री को विसर्जन करने हेतु नगर निगम द्वारा दक्षिण क्षेत्र में गड्ढे खोदे जाये ताकि उन गड्ढों में मूर्तियों एवं धार्मिक सामग्रियों का विसर्जन किया जा सकें । क्षेत्रों में फागिंग मशीन से छिड़काव कराया जाये ताकि मच्छर जन बीमारियों से जनता को बचाया जा सकें।

श्री राम औतार ने कहा कि मेरा क्षेत्र आनन्द नगर सोसाइटी का क्षेत्र है जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गड्ढे हैं। अतः उन गड्ढों को भरवाते हुये खड़न्जा लगवाने की व्यवस्था कर दी जाये । आने वाली छठ पूजा में छठ पूजा के स्थानों को पक्का करा दिया जाये। कै0 लक्ष्मी सहगल की प्रतिमा लगाई जाये।

श्री मदन ने कहा कि जल निगम द्वारा सीवर लाइन तो डाल दी गई है परन्तु चैम्बर नहीं बनाये गये हैं अतः चैम्बर बनवा कर लाइन शीघ्र चालू करवाई जाये। वार्ड में सफाई कर्मियों की कमी है और स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करने पर हड़ताल की धमकी दी जाती है।

श्री चेतन सिंह ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि पेयजल की समस्या पूरे शहर की है परन्तु मेरे क्षेत्र में जो जलकल विभाग द्वारा जो जलापूर्ति की जा रही है वह पानी नहीं तेजाब है। जगह-जगह लाइनें बन्द बड़ी है साथ ही लाये हुये पानी की बोतल को दिखाते हुये कहा कि किस प्रकार की सप्लाई जलकल विभाग द्वारा की जा रही है, इसे आप स्वयं देख कर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

श्रीमती जानकी वर्मा ने कहा कि मेरा अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है अतः ईद, बकरीद एवं अन्य मुस्लिम पर्वों पर गन्दे जानवरों से मुक्ति दिलाई जाये।

श्रीमती रीता शास्त्री ने सभी सर्विस लेनों की सफाई कराने के लिये कहा। सड़कों में गड्ढे हैं उनको भरवाया जाये । जलकल विभाग से वार्ड में जेटिंग मशीन चलवा कर चोक सीवर लाइनों को चालू कराया जाये।

श्री सुमित कुमार सरोज ने नालों की सफाई पुनः करवाने तथा खुले मेनहोलों में ढक्कन लगवाने का अनुरोध किया।

श्री नर्देश सिंह चौहान ने कहा कि तीन माह से क्षेत्र में कूड़ा नहीं उठा है, कालोनियों में सीवर भर रहा है । तेरह सफाई कर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई जाये के0डी0ए0 कालोनी में सीवर समस्या है उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाये।

सुश्री लक्ष्मी कनौजिया ने कहा कि अधिकतर सदस्यों ने कहा है कि सफाई नहीं होती उसके सम्बन्ध में कहना है कि सफाई के लिये हम स्वयं भी दोषी हैं, क्योंकि नालियों में कूड़ा जनता द्वारा सफाई कर स्वयं ही कूड़ा डाल दिया जाता है। प्राइमरी स्कूल में इण्टर तक की कक्षायें चलाकर सभी को शिक्षित किया जाये। 10-10 सफाई कर्मी प्रत्येक वार्ड को दिये जाये । वार्डों में जानवर मरकर सड़ जाते हैं परन्तु कोई उनको उठाने वाला नहीं होता है । अतः नगर निगम द्वारा जल्लाद नियुक्त किया जाये। गंगा की सफाई हेतु गंगा के समानान्तर नाला बनाया जाये तथा क्षेत्रों में फागिंग कराई जाये।

श्री गिरीश चन्द्र ने अभियान चलाकर नालों की सफाई कराने का अनुरोध किया। विगत दिनों नालों की सफाई हेतु जो बयाले काटे गये थे उन्हें ढकवा दिया जाये। जल निकासी की व्यवस्था कराई जाये।

श्री बीरबल ने कहा कि मेरे वार्ड में लोग मरे जानवरों को छीलकर छोड़ देते हैं जिससे सड़ांध फैलती है, इसकी व्यवस्था की जाये। नालों को ढकवा दिया जाये साथ ही सफाई की समुचित व्यवस्था कराई जाये।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि नालों की सफाई प्रत्येक वर्ष कराई जाती है परन्तु फिर भी जलभराव होता है। अतः नालों की सही ढंग से सफाई कराई जाये। शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाये।

श्री ओमप्रकाश ने मा0 महापौर, नगर आयुक्त एवं पत्रकार बन्धुओं को यथोचित सम्मान देते हुये कहा कि शहर की समस्याओं पर हुई चर्चा के लिये मा0 महापौर को धन्यवाद देता हूँ। विशेष कर सफाई के सम्बन्ध में जो अधिकतर सदस्यों ने मुख्य समस्या के रूप में दर्शाया है उसके सम्बन्ध में हमारे नगर आयुक्त महोदय ने समुचित प्रयास भी किया है परन्तु अवगत कराना चाहता हूँ कि सन् 1984 में नगर निगम में सफाई कर्मियों की संख्या 5200 थी, शहर की जनसंख्या एवं सीमा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है परन्तु कर्मचारियों की संख्या वर्तमान में 4325 है। रबिश् विभाग में 500 कर्मियों में से लगभग 300 से भी कम शेष है। जलकल के सीवर विभाग में पूर्व में 3600 कर्मी थे, जो वर्तमान में 840 पाइप लाइन कर्मचारी और 400 कर्मियों के साथ 50 पर्यवेक्षक है। ए-टू-जेड से कूड़ा उठाने का समझौता हुआ था प्रतिदिन 100 टन कूड़ा शहर में निकल रहा है जो ए-टू-जेड द्वारा पूरी तरह से नहीं उठाया जा रहा है। वर्तमान में सफाई कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और संविदा के माध्यम से सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कराई जा रही है परन्तु नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से भी कर्मी रखे जाये ताकि शहर के प्रत्येक वार्ड में समुचित सफाई व्यवस्था हो सकें। मेरे वार्ड से जो नाला गुजरता है उसकी स्लैब टूटी है, उसे ठीक कराया जाये। इस प्रकार सफाई पर हुई चर्चा के लिये आभारी हूँ साथ ही अनुरोध है कि अन्य प्रान्तों की भौति पार्षद भत्ता देने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कराया जाये।

श्री योगेश कुमार कुशवाहा ने कहा कि रावतपुर गॉव में एक भी मुख्य मार्ग सही नहीं है, जगह-जगह गड्ढे हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। अतः मार्गों को ठीक कराया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जलकल विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जाये। क्योंकि जलकल विभाग में शिकायत करने पर कहा जाता है कि जब जल कर आता है तब कर्मचारियों का वेतन भी आ जाता है। समस्याओं के समाधान के लिये धन न होने को बताया जाता है। जगह-जगह मेनहोल के ढक्कन खुले हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। अतः जलकल विभाग की जवाबदेही तय की जाये। अभी कुछ दिन पूर्व मार्गप्रकाश बिन्दु चोरी हो गये थे जिससे क्षेत्र में अंधेरा है इसकी जाँच करा कर कार्यवाही कराई जाये।

श्री जी0 एन0 मिश्रा ने कहा कि मेरे वार्ड में पेयजल एवं सीवर की कठिनाई है आये दिन सीवर चोक हो जाता है जिससे तीन-तीन दिन तक सीवर का गन्दा पानी सड़क में भरा रहता है। अतः सीवर समस्या के समाधान हेतु या तो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत सीवर लाइन डलवाई जाये अथवा अन्य को वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जाये।

अध्यक्ष ने विभिन्न क्षेत्रों के पार्षदों/सदस्यों द्वारा रखी गई समस्याओं के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने हेतु नगर आयुक्त महोदय को निर्देश प्रदान किये

नगर आयुक्त ने अध्यक्ष महोदय, सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों एवं विभिन्न समाचार पत्रों के पधारे हेतु पत्रकार एवं छायाकार बन्धुओं का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आज के आहूत सदन में सभी सदस्यों की भावनाओं को संज्ञान में लिया गया है। आज अहसास हुआ है कि शहर के विकास के प्रति सभी सदस्य जागरूक है और इन लोगों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार नगर निगम की कार्य योजना तैयार करने में सहायता मिलेगी। तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही भी कराई जायेगी। सभी सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, मैंने उन्हें संज्ञान में भी लिया है, तदनु रूप बिन्दुवार अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ । मुख्य रूप से जी0आई0एस0 सर्वे द्वारा निर्धारित सामान्य कर के सम्बन्ध में आपत्तियों के निस्तारण हेतु समय देने की माँग की गई है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि 15 सितम्बर तक भवन स्वामियों द्वारा अपनी आपत्तियों जोनल कार्यालयों में भिजवाई जा सकती है। वैसे कर निर्धारण की सतत् प्रक्रिया है लेकिन उन पर कई नियम व प्रक्रिया होती है, उनका अनुपालन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। नगर निगम में सीमित संसाधन है फिर भी यथासम्भव अपने अधिकारियों के सहायोग से कर निर्धारण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही कराई जाती है। माननीय न्यायालयों में भी याचिका प्रस्तुत की गई हैं, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय ने भी भौगोलिक सूचना पद्धति (GIS) को उचित ठहराया है । इसके द्वारा करारोपण नहीं हुआ है बल्कि मानक नगर निगम द्वारा तय किये गये थे तदनुसार सर्वेक्षण उपरान्त कर निर्धारण की कार्यवाही की गई है। वर्ष-2008 के बाद सामान्य कर की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 21 अगस्त, 2012 से कर निर्धारण हेतु सेन्ट्रल टैक्स आफिस की व्यवस्था की गई है, इसके माध्यम से रू0 30000 (रूपया तीस हजार) तक वार्षिक मूल्य की कर निर्धारण आपत्तियों का निस्तारण एवं संशोधन सेन्ट्रल ऑफिस में, रू0 500000 (रूपया पाँच लाख) तक जोनल कार्यालय में जोनल अधिकारियों द्वारा तथा रू0 500000 (रूपया पाँच लाख) से ऊपर की कर निर्धारण आपत्तियों का निस्तारण एवं संशोधन अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त के माध्यम से किया जायेगा। भवन स्वामी या अध्यासी अपनी आपत्तियों 15 सितम्बर, 2012 तक मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को दे दें ताकि उनका निर्धारित समयावधि पर निस्तारण किया जा सकें । आपत्तियों के निस्तारण हेतु कई बार समय दिया जा चुका है पूर्व में एक सप्ताह, 15 दिन और फिर एक सप्ताह का समय बढ़ाया जा चुका है। प्राप्त शिकायतों का सूक्ष्मता से निराकरण अन्तिम रूप से 30 सितम्बर, 2012 तक किया जायेगा। सदस्यों की भावनाओं को सम्मान देते हुये नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित करता हूँ कि इन पर तात्कालिक कार्यवाही कराई जाये, वैसे सभी अधिकारी मेरे निर्देशों के अनुपालन में सहयोग प्रदान कर रहे है। विगत वर्षों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (I.I.T.) का सामान्य कर/गृह कर बकाया आ रहा था उससे भी गृहकर लेना सुनिश्चित किया गया है। आप सभी के सहयोग से देश, प्रदेश और शहर को आगे बढ़ाया जा सकता है। शहर के क्षेत्रों में सफाई के सम्बन्ध में भी वक्तव्य दिये गये है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि जो कूड़ा उत्सर्जित होता है उसके निस्तारण हेतु पूरे विश्व में चिन्तन हो रहा है। आप सभी को अन्य शहरों में कूड़े के निस्तारण व प्रबन्धन की व्यवस्था को दिखायेंगे। कूड़े के निस्तारण में आपके संस्थान को पुरष्कृत किया गया है इसके लिये मुझे गर्व है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना को सराहा गया है। जिन क्षेत्रों में हम नहीं पहुँच पाये थे आज आपके माध्यम से उन क्षेत्रों की समस्यायें मेरे संज्ञान में आईं इन्हें दूर किया जायेगा। पूर्व में एक मा0 पार्षद ने जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर गॉंगी गई आपत्तियों की पुस्तिका,

जो नगर निगम द्वारा वर्ष-2008 में निर्गत की गई थी के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुये सर्वे को गलत ठहराया है। इसके सम्बन्ध में पुनः कहना चाहता हूँ कि मा0 उच्च न्यायालय में भी इस सर्वे में कोई कमी नहीं पाई गई है। तथापि आपकी भावनाओं के अनुसार कर निर्धारण की आपत्तियों का अपने अधिकारियों के माध्यम से भविष्य में निस्तारण किया जायेगा। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना वर्ष-2005 से प्रारम्भ हुई है इसके कार्यों की शिकायत भी की गई है। अवगत कराना है कि अधिकतर क्षेत्रों में सीवर लाइन डाली जा चुकी है सिर्फ संयोजन किया जाना है, इसके बावजूद भी अभी 69 कि0मी0 सीवर लाइन पड़नी है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ सीवर भराव की शिकायत की जा रही है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खुदाई करके सीवर लाइन तो डाली जा चुकी है परन्तु मुख्य लाइन अभी न चालू किये जाने के कारण यह समस्या आ रही है। जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों की त्रुटियों के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों को संज्ञान में लेते हुये ही मा0 मंत्री, नगर विकास ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के कार्यों की जाँच प्रारम्भ कराई है। समय-समय पर पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से भी खुदी हुई सड़कों के सम्बन्ध में समाचार संज्ञान में आते रहे हैं और उन पर कार्यवाही भी कराई जाती रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की भावनाओं के अनुसार ही टूटी गलियों एवं सड़कों की मरम्मत कार्य वर्षा ऋतु के कारण रोके हुये हैं, बरसात के पश्चात् सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। कैन्ट क्षेत्र में चार साल तक सीवर लाइन डालने हेतु अनुमति नहीं मिल पाई थी, मेरे द्वारा प्रयास किया गया और वहाँ से भी सीवर लाइन डालने हेतु अनापत्ति निर्गत की जा चुकी है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि से जो कार्य कराने की माँग की गई है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्गत शासनादेश के तहत राज्य वित्त आयोग की धनराशि का 75 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन के मद में भुगतान किया जाता है। धन की अनुपलब्धता के कारण अभी नगर निगम कर्मियों के छठवें वेतन आयोग के अन्तर के बकाया का भुगतान नहीं किया जा सका है। आप सभी के सहयोग से संसाधन बढ़ाये जायेंगे और तदनुसार कार्य योजना भी तैयार कर कार्य कराये जायेंगे। डाट लाइन गिरने की जो शिकायत की गई है उस पर कार्यवाही की जायेगी और उसकी सफाई हेतु सफाई कर्मियों को उचित उपकरण भी उपलब्ध कराये जायेंगे। हैण्डपम्प की माँग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा सभी हैण्डपम्पों में नम्बर डलवाये गये हैं जिनकी संख्या-1442 है इनमें 642 अस्थाई खराब हैं तथा 93 हैण्डपम्प पूर्ण रूप से खराब हैं। 25 टीमें जलकल विभाग से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लगी है। आपके सुझाव के अनुसार हैण्डपम्प की छोटी-छोटी खराबियों को ठीक कराया जायेगा फिर भी आपको यदि शिकायत हो तो महाप्रबन्धक, जलकल को दूरभाष पर शिकायत की जा सकती है और उस पर कार्यवाही कराई जायेगी। यदि सुनवाई नहीं होती तो मुझसे सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। सबमर्सिबल पम्प के विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत सबमर्सिबल पम्प का रख-रखाव एवं उसकी बिजली का भुगतान क्षेत्रीय समितियों गठित कर कराना सुनिश्चित किया गया है परन्तु क्षेत्रीय समितियों के गठन न होने के कारण सबमर्सिबल पम्प बन्द है। अतः आप सभी से सहयोग अपेक्षित है कि क्षेत्रीय समितियों का गठन कर उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न क्षेत्रों में सफाई के लिये ठेके के माध्यम से सफाई कर्मियों की भर्ती की जा रही है और भविष्य में भी आउटसोर्सिंग से कर्मियों की भर्ती कर सफाई पर कार्यवाही की जायेगी। केन्द्र सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा भूगर्भ जल दोहन के प्रति सचेत किया जा रहा है और इसकी अनदेखी करते हुये हैण्डपम्प और सबमर्सिबल पम्प लगाये गये हैं उसी का परिणाम है कि भूगर्भ का जल भी प्रदूषित हो

गया है । अतः भविष्य में हैण्डपम्प और सबमर्सिबल पम्प लगाने को प्रतिबन्धित करने पर विचार किया जा रहा है। पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंगा नदी से भैरवघाट स्थित पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से बेनाझाबर जलकल विभाग में पानी लाकर शोधित किया जाता है तत्पश्चात् क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है। गंगा के प्रदूषण के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये उसके लिये धन्यवाद। इसके प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिये ही मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथारिटी का गठन किया गया है तथा गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में समय-समय पर सूचना भी देनी पड़ती है। मुख्य रूप से सीवर समस्या है, क्योंकि पुराना सीवर सिस्टम फेल हो गया है और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत नई गहरी ट्रंक सीवर लाइन डाली जा रही है। अभी भी जानवरों के चट्टे संचालित करने वाले गोबर को पानी के माध्यम से सीधे सीवर में बहा रहे हैं, जिससे सीवर चोंक हो जाता है और सीवर का भराव होता है। अतः आप सभी सहयोग करें, जिससे चट्टों का चालान किया जा सकें और आवार जानवरों को पकड़ने में भी आपका सहयोग अपेक्षित है। जानवरों के चट्टे संचालित करने वाले मा0 उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले आये हैं उसे भी वैकेट कर चट्टे हटवाये जायेंगे। गलीपिट एवं नालियों की सफाई हेतु सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कै0 लक्ष्मी सहगल के नाम से विद्यालय चलाने के लिये सुहासिनी अली जी ने अनुरोध किया था, उस पर नियमानुसार नगर निगम द्वारा विचार किया जायेगा। समय-समय पर बैठकें आहूत कर आपके चिन्तन एवं सुझावों के माध्यम से योजनायें तैयार की जायेंगी और भावनाओं के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर कार्य कराया जायेगा। मार्गप्रकाश के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर सीमित संसाधनों के अनुसार कार्यवाही कराई जायेगी। शासन स्तर पर भी बिजली की बचत हेतु आदेशित एवं निर्देशित किया जा रहा है। विगत दिनों ग्रिड फेल हो जाने के कारण मुख्य सचिव पर भी कार्यवाही करने को कहा गया है। अतः हम सभी द्वारा बिजली बचत हेतु सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिये। आप सभी के लिये व्यवस्थायें बनाई जाती हैं तथा आपके सहयोग से ही क्रियारूप में परणति होगी। हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करें । धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

मा0 महापौर/अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा अच्छी हुई है तथा आप लोगों की सहभागिता भी सराहनीय रही है। आप ने अपने विचारों के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं की जो अभिव्यक्ति की है उस पर नगर आयुक्त द्वारा कार्यवाही कराये जाने का आश्वासन भी दिया जा चुका है। इसके लिये आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। शहर के समग्र विकास में तथा जनसमस्याओं के निस्तारण हेतु सभी जनमानस की सहभागिता नहीं प्रारम्भ होगी तब तक विकास सम्भव नहीं होगा। कानपुर नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रत्येक वार्ड के विकास के लिये कार्य योजनायें तैयार की जायेंगी और हम सभी 110 पार्श्व एवं पदेन सदस्य एक मत होंगे तो शहर का विकास स्वयमेव परिलक्षित होगा। प्रत्येक क्षेत्र में अतिक्रमण होता है जिससे जल निकासी बाधित होती है और अनेक समस्यायें भी उत्पन्न होती हैं। इसे स्वयं हटाने हेतु हम सभी को प्रयास करना चाहिये, लोगों को समझायें, जागरूक करें । नगर आयुक्त ने आपकी बातों का संज्ञान लेते हुये अपनी बात प्रस्तुत की है । कहा गया है कि संसाधन सीमित हैं, अपेक्षायें बढ़ती जा रही हैं, शासन से लगातार प्रयासरत है कि संसाधन बढ़ाये जायें एवं कर्मियों की व्यवस्था की जाये। कानपुर नगर को विकसित करने हेतु परिकल्पना करें तथा योगदान एवं सहयोग प्रदान करें । अनेकों कठिनाईयों

है परन्तु हम सभी को मिल कर बहुत बड़ा काम करना है। सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में सदन की गरिमा बनाये रखेंगे इससे मैं स्वयं को गौरवान्वित समझूँगा। इसी के साथ आज की कार्यकारिणी समिति के सम्पन्न हुये निर्वाचन में निर्वाचित 12 सदस्यों के नामों की निम्नवत् घोषणा करते हुये निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देता हूँ :-

(1)

1- श्री अभिषेक गुप्ता वार्ड-106, **2-** श्रीमती उत्तम दुबे वार्ड-33, **3-** श्रीमती गीता देवी वार्ड-17, **4-** श्री जितेन्द्र कुमार वार्ड-80, **5-** श्री धर्मनाथ मिश्रा वार्ड-75, **6-** मो0 वसी वार्ड-110, **7-** श्री इरफान खॉन वार्ड-108, **8-** श्री महेन्द्र पाण्डेय वार्ड-09, **9-** श्री राकेश साहू वार्ड-72, **10-** श्रीमती विजय लक्ष्मी वार्ड-16, **11-** श्री संदीप जायसवाल वार्ड-79, **12-** मो0 सलीम बेग वार्ड-40

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से आज दिनांक- 25.08.2012 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा ।

..... सर्वसम्मति से सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक- 25.08.2012 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

.....

अन्त में अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को शुभकामनायें देते हुये राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक का समापन किया गया।

ह0.....

(जगत वीर सिंह द्रोण)

महापौर/अध्यक्ष